आज़ादी का अमृत महोत्सव

घर-घर औषधि योजना

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/ 5823 दिनांक : 16/09/22

निमित्त,

उप वन संरक्षक
कोटा।

विषयः संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति लखावा कोटा को एफसीए 1980 के तहत 4.36 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक एफ 13 वन (संरक्षण)/समुवसं/2018/5251 दिनांक 03.07.2018 एवं ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 04.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक ई0डी0एस0 एवं पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2018/5251 दिनांक 03.07.2018 से चाही गयी सूचना के क्रम में आप द्वारा मात्र संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति लखावा कोटा राजस्थान का **संक्षिप्त नोट** और किसी अन्य प्रस्ताव की साइट निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड कर ऑनलाईन अग्रेषित किया है। जिससे यह कार्यालय सहमत नही है।

अतः इस कार्यालय के पत्रांक 5251 दिनांक 03.07.2018 में उल्लेखित बिन्दु का अवलोकन कर बिन्दूवार सूचना तैयार कर अपनी टिप्पणी सहित प्रस्ताव ऑनलाईन अपडेट कर हार्ड कॉपी (तीन सेट)में प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– पत्रांक 5251 दिनांक 03.07.2018

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2018/ 5251 दिनांक : 3/7/18

निमित्त,

उप वन संरक्षक
कोटा

विषय:– आसाराम गौशाला समिति लखावा, कोटा को एफसीए 1980 के तहत 4.69 है वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

प्रसंग :– आपका पत्र संख्या एफ ( )तक/उवसं/कोटा/2018–19/6381 दिनांक 27.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आलौच्य प्रकरण आसाराम गौशाला समिति लखावा, कोटा (4.69 है0) में पुनः संशोधन कर कार्यालय में अग्रेषित किया है। आपके द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव का कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त निम्न कमियां सामने आयी है:–

1. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 14 की कॉलम अनुरूप आवश्यक पूर्ति अपेक्षित है।
2. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 13 (iii) की पूर्ति अपेक्षित है।
3. उप वन संरक्षक की मौका निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संकलित नहीं है।
4. प्रस्तावित क्षेत्र में जो पेड़ आ रहे है उन्हे काटा जायेगा या नही, स्पष्ट करें।
5. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट–I में प्रस्तावित प्रत्यार्वतन के बदले जो समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराई जा रही है के छोटे–छोटे टुकडों को प्रबंधकीय एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बताया गया है, स्पष्ट करें।
6. प्रस्तावित वनभूमि एवं समतुल्य गैर वनभूमि दौनों की KML file की हार्ड प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नही की गयी है।
7. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट कराते हुए एवं प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आवश्यक पूर्तिया कर प्रेषित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (प्रस्ताव–3 सेट)

3/7/18

(अनिल कुमार कपूर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2018/ 5252 दिनांक : 3/7/18

प्रतिलिपि संचालक आसाराम गौशाला समिति लखावा कोटा को उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा 3/7/18